रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 2000/आषाढ़ 27, 1922
No. 393] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 2000/ASADHA 27, 1922

महानिदेशक (रक्षोपाय) का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2000

रक्षोपाय जांच प्रारम्भ करने की सूचना

[सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अधीन]

विषय :—मेथिलीन क्लोराइड के आयात से संबंधित रक्षोपाय जांच प्रारंभ करना।

सा.का.नि. 617(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अधीन गुजरात अलकलीज एंड केमिकल्स लि. गुजरात (जी.ए.सी.एल.) और केमप्लास्ट सनमार लि., चेन्नई (सी.एस.एल.) ने भारत में होने वाले मेथिलीन क्लोराइड के वर्धित आयात से मेथिलीन क्लोराइड के घरेलू उत्पादकों को होने वाली गंभीर क्षति से बचाने के लिए भारत में मेथिलीन क्लोराइड के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए मेरे समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2 घरेलू उद्योग मेथिलीन क्लोराइड के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए मेथिलीन क्लोराइड के घरेलू उत्पादकों की ओर से जी. ए. सी एल. और सी. एस. एल. ने आवेदन प्रस्तुत किया है । एस आर एफ नई दिल्ली सहित मेथिलीन क्लोराइड के कुल तीन घरेलू उत्पादक हैं जिनकी 1999-2000 मे मेथिलीन क्लोराइड की उत्पादन क्षमता 27210 मी टन की है जिसमें से आवेदकों की उत्पादन क्षमता 22410 मी टन अर्थात 82% है । आवेदकों ने 1999-2000 में 22872 मी.टन का उत्पादन किया है । इसलिए ऐसा माना जाता है कि आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

3. सम्बद्ध उत्पाद आवेदको ने भारत में मेथिलीन क्लोराइड के वर्धित आयात से घरेलू उत्पादकों को गमीर क्षति होने का आरोप लगाया है । मेथिलीन क्लोराइड केमिकल फार्मूला सी एच2 सी एल2 के साथ एक मूल आर्गेनिक केमिकल है और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की उपशीर्ष 2903.12 और हार्मोनाइज्ड कॉमोडिटी डिस्क्रिप्सन पर आधारित भारतीय व्यापार वर्गीकरण (आई टी सी) की संख्या 29031200 के अधीन वर्गीकृत है ।

मेथिलीन क्लोराइड विनिर्माण के मूल रूप से दो रूट हैं । या तो मीथेन या मेथानाल को मूल कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाकर मीथेन रूट में मीथेन का थर्मो क्लोरीनीकरण शामिल है । रोशनी या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन और मीथेन के बीच प्रतिक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यवाही है । कार्यवाही प्राचलों के समायोजन पर आधारित, मुख्य लब्धि मेथाइल क्लोराइड है जिसे कि मेथिलीन क्लोराइड प्राप्त करने हेतु क्लोरीकरण के लिए पुनावर्त किया जाता है । मैथनोल रूट में, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मैथनोल के हाइड्रोक्लोरिनेशन की प्रथम स्तर की प्रतिक्रिया में मिथाइल क्लोराइड उत्पादित किया जाता है । दूसरे स्तर की प्रक्रिया मे चार उत्पादों जैसे कि बेअसर मिथाइल क्लोराइड, मैथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफार्म तथा कार्बन टैट्राक्लोराइड के संमिश्रण को बनाने के लिए या तो थरमल क्लोरिनेशन अथवा मिथाइल क्लोराइड के फोटो क्लोरिनेशन सम्मिलित हैं । तत्पश्चात उत्पादों को अलग करके अनुप्रवाहित टावरस में शुद्ध किया जाता है । जी ए सी एल ने मिथेन रूट अपनाया है जबकि सी एस एल ने मैथिलीन क्लोराइड के विनिर्माण के लिए मैथनोल रूट अपनाया है । औषधियों तथा औषधीय उद्योगों और फौटो फिल्म के विनिर्माण में एव फोम, रेजिन, कास्टिंग, फ्यूमिगैन्टस तथा कृषि रसायनों के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है ।

4. वर्धित आयात : मैथिलीन क्लोराइड भारत में बैल्जियम, ब्राजील, चीनी ताइपे, फ्रॉंस, जर्मनी, हॉंग-कॉंग, हगरी, इजराइल, इटली, जापान, नीदरलैन्ड्स, रूस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यू के तथा यू एस ए से आयात किया जाता है । वास्तव में आयात ने घरेलू उत्पादन की तुलना में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई है । 1995-96 से 1999-2000 के दौरान मैथिलीन क्लोराइड का आयात तथा घरेलू उत्पादन निम्नानुसार रहा -

वर्ष	क्षमता	घरेलू उत्पादन	आयात	घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात
1995-96	14910	16340	10776	65.95
1996-97	14910	15588	12302	78.92
1997-98	22410	17491	7390	42.25
1998-99	22410	22626	9269	40.96
1999-2000	22410	22872	13500	59.02

क्षति : मैथिलीन क्लोराइड के वर्धित आयात से मैथिलीन क्लेराइड के घरेलू उत्पादको को गभीर क्षति हुई/क्षति होने की आशंका है जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों द्वारा दर्शाया गया है :-

मैथिलीन क्लोराइड की अंतराष्ट्रीय कीमतें तेजी से गिर रही हैं । मैथिलीन क्लोराइड की उतराई के समय ी लागत गत दो वर्षों के दौरान लगभग 46% तक गिर गई है । अंतराष्ट्रीय कीमतो मे अत्याधिक गिरावट को ाने के लिए तथा उनके बाजार अश को बनाए रखने के लिए घरेलू उत्पादको को अपनी मैथिलीन क्लोराइड ी कीमते कम करनी पड़ी परिणामस्वरूप उनकी शुद्ध मूल्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण गिरावट हुई और फलत घरेलू त्पादकों को हानि हुई ।

(ii) घरेलू उत्पादकों का बाजार अंश जो कि 1997-98 में लगभग 70% था, 1999-2000 में 60% तक गिर गया, जैसा कि नीचे सारिणी से साक्ष्य मिलता है :

वर्ष	घरेलू बिक्री (कैप्टिव उपभोग सहित)	आयातों सहित कुल घरेलू उपभोग	घरेलू खपत में घरेलू बिक्री का शेयर (2/3x 100%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1997-98	16633	24023	69.24
1998-99	20515	29784	68.88
1999-2000	20382	34482	60.85

6. घरेलू उत्पादकों ने मेथिलीन क्लोराइड के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध किया है । उन्होंने तत्काल अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए भी अनुरोध किया है ।

7. आवेदन का परीक्षण किया गया है और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मेथिलीन क्लोराइड के वर्धित आयात से मैथिलीन क्लोराइड के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होने की आशंका है और तदनुसार इस नोटिस के माध्यम से जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया है ।

8. सभी इच्छुक पक्ष अपने दृष्टिकोण से 28/8/ 2000 तक अधोहस्ताक्षरी को अवगत करा सकते हैं ।

महानिदेशक (रक्षोपाय)
पंचम तल, ड्रम शेप बिल्डिंग,
आई पी भवन, आई पी एस्टेट,
नई दिल्ली - 110002
भारत

9. सभी ज्ञात इच्छुक पक्षों को अलग से भी सूचित किया जा रहा है ।

10. जांच के लिए कोई अन्य पक्ष, जो इच्छुक पक्ष के रूप में समझे जाने के इच्छुक हो, के अभ्यावेदन नोटिस की तिथि के 21 दिन के अन्दर महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास पहुँच जाने चाहिए ।

[फा.सं. एस.जी./आई.एन.वी./2/2000]

आर.के. गुप्ता, महानिदेशक (रक्षोपाय)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2000

NOTICE OF INITIATION OF A SAFEGUARDS INVESTIGATION

[Under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997]

Sub:—Initiation of Safeguard Investigation concerning imports of Methylene Chloride.

G.S.R. 617(E).—An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd., Gujarat (GACL) and Chemplast Sanmar Ltd., Chennai (CSL) for imposition of Safeguard Duty on imports of Methylene Chloride into India to protect the domestic producers of Methylene Chloride and Chloroform against serious injury caused by the increased imports of Methylene Chloride into India.

2. Domestic Industry

The application has been filed by GACL and CSL on behalf of the domestic producers of Methylene Chloride for imposition of Safeguard duty on imports of Methylene Chloride. There are three domestic producers including SRF Ltd., New Delhi of Methylene Chloride accounting for a total production capacity of 27210 MT of Methylene Chloride in 1999-2000, out of which the Applicants account for 22410 MT i.e. 82%. The Applicant accounted for a total production of 22872 MT in 1999-2000. The application is, therefore, considered to have been made on behalf of the domestic industry.

3. Product Involved

The Applicants have alleged serious injury caused to the domestic producers by the increased imports of Methylene Chloride. Methylene Chloride is a basic organic chemical with chemical formula CH_2Cl_2 and classified under 2903.12 of Customs Tariff Act, 1975 and under 29031200 of the Indian Trade Classification (ITC), based on the Harmonised Commodity Description.

There are basically two routes for manufacturing Methylene Chloride, using either Methane or Methanol as basic raw material. The Methane route involves thermal Chlorination of Methane. The reaction between Chlorine and Methane in the presence of light or a catalyst is the most important process. Depending upon the adjustment of the process parameters, the predominant yield is Methyl Chloride which is recycled for Chlorination for obtaining Methylene Chloride. In the Methanol route, Methyl Chloride is produced in the first stage of the reaction by hydrochlorination of Methanol with Hydrogen Chloride. The second stage of process involves either thermal chlorination or photo chlorination of Methyl Chloride to produce a mixture of four products i.e. un-reacted Methyl Chloride, Methylene Chloride, Chloroform and Carbon Tetrachloride. The above products are subsequently separated and purified in the downstream towers. GACL adopts the Methane route whereas CSL adopts the Methanol route for manufacture of Methylene Chloride. Methylene Chloride is used in photo films, bulk drugs & pharmaceutical industries and for the manufacture of foam, resin casting, fumigants & agrochemicals.

4. **Increased Imports**

Methylene Chloride is imported into India from Belgium, Brazil, Chinese Taipei, France, Germany, Hong-Kong, Hungary, Israel, Italy, Japan, the Netherlands, Russia, Spain, Switzerland, U.K. and USA. The imports have shown an increasing trend in absolute term as well as compared to domestic production. The imports and domestic production of Methylene Chloride during 1995-96 to 1999-2000 have been as under :

Year	Capacity	Domestic Production	Imports	Imports as % of domestic production
1995-96	14910	16340	10776	65.95
1996-97	14910	15588	12302	78.92
1997-98	22410	17491	7390	42.25
1998-99	22410	22626	9269	40.96
1999-2K	22410	22872	13500	59.02

5. **Injury** : The increased imports of Methylene Chloride have caused/threatened to cause serious injury to the domestic producers of Methylene Chloride as indicated by the following factors :-

(i) International prices of Methylene Chloride have been steadily falling. The landed cost of Methylene Chloride during the last two years have fallen by almost 46%. To keep up with this drastic fall in the international prices and to retain their market share, the domestic producers had to reduce their prices of Methylene Chloride as a sequel their net price realisations have declined considerably and resulted in loss to the domestic producers.

(ii) The relative market share of domestic producers which was about 70% in 1997-98 declined to 60% in 1999-2000 as would be evident from the table below :

Year (1)	Domestic Sales (including captive consumption) (2)	Total Domestic Consumption including imports (3)	Share of domestic sales to domestic consumption (2/3 X 100 %)
1997-98	16633	24023	69.24
1998-99	20515	29784	68.88
1999-2K	20982	34482	60.85

6. The domestic producers have requested for imposition of Safeguard duty on imports of Methylene Chloride. They have also requested for an immediate imposition of provisional Safeguard Duty.

7. The Application has been examined and it appears that prima facie increased imports of Methylene chloride have threatened to cause serious injury to the domestic producers of Methylene chloride and accordingly it has been decided to initiate an investigation through this notice.

8. All interested parties may make their views known by 28.8.2000 to :

The Director General (Safeguards),
5th Floor, Drum Shape Building,
I.P.Bhawan, I.P. Estate,
New Delhi-110 002
India.

All known interested parties are also being addressed separately.

Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its representation so as to reach the Director General (Safeguards) within 21 days from the date of this notice.

[F.No. SG/INV/2/2000]
R.K. GUPTA, Director General (Safeguard)

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.